जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सीतामढ़ी

(मनरेगा के तहत सामग्री अधिप्राप्ति हेतु **अल्पकालीन निविदा** आमंत्रण सूचना।)

आयुक्त, मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 232 दिनांक 04.02.2020 के आलोक में सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु मनरेगा योजना में ग्राम पंचायतवार योजनाओं में प्रयुक्त होने वाली सामग्री यथा सोन बालू, ईट, गिट्टी, छड़, पौधा, उर्वरक, कीटनाशनक, पाईप, बॉस गैबियन (उ0 4.5 फीट, डा0 2X2 फीट) एवं चापाकल इत्यादि सामग्रियों के अधिप्राप्ति (Material Procurement) हेतु निबंधित एवं सक्षम, प्रतिष्ठानों/इच्छुक वेंडरों से मुहरबंद अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा के आधार पर सामाग्री अधिप्राप्ति हेतु निविदादाता का चयन निम्नलिखित शर्त्तों के अधीन किया जायेगाः–

निविदा की शर्त्ते :–

1. दिनांक 21.07.2020 तक कोटेशन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सीतामढ़ी के कार्यालय में 10.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00बजे अपराह्न तक हाथों–हाथ या निबंधित डाक से जमा करना होगा। प्राप्त कोटेशन का निष्पादन, दिनांक 22.07.2020 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में जिला परिचर्चा भवन, सीतामढ़ी में किया जायेगा जिसमें कोटेशनदाता स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।
2. कोटेशन में द्विलिफाफा प्रणाली के तहत तकनीकी विवरणी एवं वित्तीय विवरणी अलग–अलग लिफाफा में रखते हुए सीलबंद लिफाफा कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा। एक लिफाफा के अंदर दोनो लिफाफा रखे जाने की स्थिति में उस निविदादाता का लिफाफा अमान्य करार देते हुये उसे खोला नही जायेगा। लिफाफे के उपर सामग्री का नाम अवश्य अंकित करेंगें।
3. तकनीकी निविदा वाले लिफाफे में Shop Establishment Act 1953 के तहत निबंधन प्रमाण पत्र, जी0 एस0 टी0 निबंधन प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, विगत तीन वर्षो का अघतन आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र तथा जी0एस0टी0 रिटर्न प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. कोटेशनदाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधी शपथ पत्र तकनीकी लिफाफे में देना होगा।
5. तकनीकी निविदा के साथ सुरक्षित जमा राशि के रूप में 10000.00 (दस हजार) रूपये का बैंक ड्राफट संलग्न करना होगा, जो उप विकास आयुक्त, सीतामढ़ी के नाम से देय होगा।
6. प्रखण्डवार अथवा पंचायतवार सामग्री की आवश्यकता का अवलोकन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सीतामढ़ी में सात दिन के अंदर कार्यालय समय पर किया जा सकता है।
7. चयनित आपूर्तिकर्त्ताओं से एक से अधिक प्रखंड/पंचायतों के लिए आवश्यकता अनुसार कार्य लिया जायेगा।
8. सभी इच्छुक Vendor द्वारा समर्पित निविदा के आधार पर समिति द्वारा विभिन्न सामग्रीयों के लिए तुलनात्मक विवरणी तैयार कर Vendors को एक वर्ष के लिए Nrega Soft (MIS) पर सूचिबद्व करने की अनुशंसा की जाएगी। जिसका अनुमोदन जिला पदाधिकारी–सह–कार्यक्रम समन्वयक के द्वारा किया जाएगा। समिति द्वारा समीक्षा के आधार पर Vendors का अधिकतम 2 वर्षो के लिए सूचिबद्व अवधि का विस्तार की अनुशंसा की जा सकती है।

9. किसी भी सामाग्री के लिए न्युनतम दर का आकलन करने हेतु सामाग्री की दर + Applicable Tax + गन्तव्य प्रखंड/पंचायत स्थल तक ढुलाई पर होने वाले व्यय के योग के आधार पर ही निर्धारण किया जायेगा।
10. GST Act के प्रावधान अनुसार Vendor के Turnover की सीमा के आधार पर GST का निबंधन एवं धारा 51 के अन्तर्गत GST on TDS श्रोत पर कटौती की जायेगी।
11. निविदा में उल्लेखित दर भवन निर्माण विभाग के द्वारा निर्धारित वर्त्तमान दर Schedule of Rate (SOR) तथा वृक्षारोपण और पौधशालाओं के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्धारित दर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
12. सामग्री की विशिष्टियों को दर (पूर्ण रूपया) में अंकित करना होगा।
13. निर्धारित समय–सीमा के उपरान्त प्राप्त होनेवाले निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
14. सामग्री की अधिप्राप्ति में बिहार वित्त नियमावली 2005, यथा संशोधित के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।
15. ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 232 दिनांक 04.02.2020 में दिये गये निदेश का अक्षरशः अनुपालन करना होगा।
16. निविदा की विस्तृत विवरणी जिला के वेवसाईट sitamarhi.nic.in पर देखा जा सकता है।
17. अधोहस्ताक्षरी का निर्णय सर्वमान्य होगा एवं अधोहस्ताक्षरी को किसी भी समय चयन प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
18. किसी भी प्रकार के विवाद का निपटारा सीतामढ़ी न्यायालय में किया जा सकेगा।

जिलाधिकारी–सह–जिला
कार्यक्रम समन्वयक, मनरेगा,
सीतामढ़ी।

कार्यालय

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ,सीतामढ़ी।

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
सीतामढ़ी।

पत्रांकः— 1328
दिनांकः— 11.07.2020

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः—मनरेगा योजना के तहत सामग्री हेतु स्थानीय समाचार पत्रों में **अल्पकालीन निविदा** प्रकाशित करवाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि आयुक्त, मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 232 दिनांक 04.02.2020 के आलोक में सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020—21 हेतु मनरेगा योजना में ग्राम पंचायतवार योजनाओं में प्रयुक्त होने वाली सामग्री हेतु बालू, ईट, गिट्टी, छड़, पौधा, गैबियन, खाद इत्यादि सामग्रियों के अधिप्राप्ति (Material Procurement) हेतु निबंधित एवं सक्षम, प्रतिष्ठानों/इच्छुक वेंडरों से मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित की जानी है। दिनांक 21.07.2020 तक कार्यालय अवधि में हाथों—हाथ यो निबंधित डाक से निविदा जमा किया जायेगा तथा 22.07.2020 को निविदा खोला जायेगा। चूँकि यह विज्ञापन अत्यंत आवश्यक है, इसे स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाय। वांछित राशि का भुगतान यथाशीघ्र कर दिया जायेगा। निविदा का प्रारूप की हार्ड कॉपी (तीन प्रति में) तथा सॉफ्ट कॉपी संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि उक्त संलग्न निविदा तीन स्थानीय समाचार प़त्रों में प्रकाशित करवाने की कृपा की जाय।

अनु०— विज्ञापन का प्रारूप।

विश्वासभाजन

ह०/-

जिला पदाधिकारी,
सीतामढ़ी।

ज्ञापांकः— 1328 दिनांकः— 11.07.2020

प्रतिलिपिः— जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सीतामढ़ी को कोटेशन की शर्त संलग्न करते हुये निदेश दिया जाता है कि इसे जिला के वेवसाईट sitamarhi.nic.in पर अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगें।

प्रतिलिपिः— जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

जिला पदाधिकारी,
सीतामढ़ी।